

क्रमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/328

दिनांक:- 29/7/09

:: संशोधित आदेश ::

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/288 दिनांक: 10.7.09 के द्वारा जी.एन.एम. प्रशिक्षण सत्र 2009-10 में प्रवेश हेतु निजी नर्सिंग स्कूल्स जिन्हें स्वीकृत / बढी हुई सीटों के लिये राज्य सरकार की एन.ओ.सी., आईएनसी की मान्यता, आरएनसी की सम्बद्धता है, तथा बढी हुई सीटों के सम्बन्ध में जिनका प्रथम बैच पास आउट हो गया है के आधार पर सीटों की नवीनतम स्थिति की सूची जारी की गई थी, के क्रम संख्या 83 पर हेल्थ एण्ड हाईजिन नर्सिंग एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट, साईं धाम कालोनी, तिजारा रोड, अलवर की कुल सीटों की संख्या 60 तथा प्रवेश पर राज्य सरकार की रोक को विलोपित पढ़ा जावें। शेष विवरण यथावत रहेगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0-जयपुर।

क्रमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/09/328

दिनांक:- 29/7/09

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची में उल्लेखित सीटों की संख्या से अधिक किसी संस्था द्वारा प्रवेश दिये जाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दें।
3. अध्यक्ष, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार ही प्रवेश दिया जावे, संस्था/सीटों की संख्या में इस स्तर से लिखित में अनुमति जारी हो जाने पर ही परिवर्तन मान्य होगा।
4. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को मय सूची के विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0-जयपुर।